उत्तराखंड में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक सरगना गिरफ्तार, होटलों और रेस्टोरेंट में करता था सप्लाई

हल्द्वानी/देहरादून: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. जहां एसटीएफ और आबकारी विभाग की टीम ने मुखानी में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब, केमिकल और उपकरण बरामद किया है. साथ ही मौके से नकली शराब बनाने वाले एक सरगना को भी गिरफ्तार किया है.

आरोपी पहले भी कई अन्य मामलों में जेल की हवा भी चुका है. आरोपी फैक्ट्री में नकली शराब तैयार करता था, जिसे वो हल्द्वानी क्षेत्र में सप्लाई करता था. जबकि, नकली शराब बनाने के लिए केमिकल और अन्य रॉ मटेरियल मुरादबाद से लेकर आता था. दरअसल, एसटीएफ की टीम को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि मुखानी थाना क्षेत्र में किसी मकान में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही है. जिस पर एसटीएफ की टीम लगातार छानबीन कर रही थी.

नकली शराब बनाने के मामले में विशाल मंडल गिरफ्तार: इसी कड़ी में आज टीम को मकान का पता चला, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने मुखानी थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को साथ लेकर गई. जहां एक मकान में छापा मारा. छापेमारी के दौरान मकान के अंदर नकली शराब का फैक्ट्री

चलता मिला. जहां टीम ने एक आरोपी विशाल मंडल निवासी लालकुआं को गिरफ्तार किया. मौके पर भारी मात्रा में नकली शराब, रॉ मटेरियल और उपकरण बरामद किए गए.

किराए के मकान में खोली थी नकली शराब की फैक्ट्री: एसटीएफ एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि गिरफ्तार शख्स किराए पर मकान लेकर पिछले एक महीने से नकली शराब की फैक्ट्री चला रहा था. रिहायशी इलाका होने की वजह से आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं थी. आरोपी तैयार शराब को हल्द्वानी क्षेत्र के रेस्टोरेंट और होटलों में सप्लाई करता था.

आरोपी के खिलाफ अलग-अलग थानों में दर्ज हैं कई मुकदमे: वहीं, एसटीएफ टीम ने आरोपी को नकली शराब बनाने के लिए रॉ मटेरियल और उपकरण सप्लाई करने वाले का सुराग मिल गया है, जिस पर अब आगे कार्रवाई की जा रही है. आरोपी विशाल मंडल के खिलाफ काठगोदाम, हल्द्वानी, लालकुआं थाने और आबकारी विभाग में नकली शराब बनाने समेत तस्करी मामले में 6 मुकदमे दर्ज हैं.

Source: https://www.etvbharat.com/hi/!state/crime-news-stf-and-excise-department-team-arrest-accused-for-run-fake-liquor-factory-in-nainital-uttarakhand-news-uts24112006856